हमारी मांग : सबके लिये खाद्य सुरक्षा*

{भोजन के अधिकार के लिये दिल्ली में रैली, 26 नवंबर 2009}

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने एक ऐसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने का कदम उठाया है जिसके तहत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हर परिवार को 3 रूपये प्रति किलो की दर से 25 किलो खाद्यान्न दिया जायेगा। बढ़ती हुई कीमतों, सूखे, गहराई तक जाती भुखमरी {इसमें से ज्यादातर संकट पूर्व–वर्तमान की सरकारों द्वारा अपनाई आर्थिक नीतियों के कारण पैदा हुये हैं} के संदर्भ में इस तरह का सीमित कानून निरर्थक और बेमानी है। इस कानून की कवायद ऐसे दौर में की जा रही है जब भारत दुनिया की सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था {वास्तव में रोज़गारविहीन प्रगति} में से एक मानी जाती है, परंतु इसी देश में दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भी रहते हैं। भारत में आज 360 अरबपति रहते हैं परंतु यहीं की 93 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में है, जिन्हें रोजगार की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। यहां दिनभर की मेहनत के एवज में 25–30 रूपये की मजदूरी मिलती है परंतु अनाज की कीमतें अनियंत्रित गति से बढ़ रही हैं, पोषणयुक्त भोजन आज ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी 60 प्रतिशत लोगों को खेती से रोजगार मिलता है, फिर भी कृषि क्षेत्र गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता कम होती जा रही है और किसान या तो आत्महत्या करने के लिये मजबूर हैं या फिर खेती छोड़ रहे हैं। ऐसे में सूखे ने परिस्थितियों को और भी गंभीर बना दिया है। देश के 278 जिलों पर सूखे की मार पड़ी है।

रोजी–रोटी अधिकार अभियान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के इस तरह के प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को खारिज करता है और सुरक्षित–पर्याप्त भोजन की उपलब्धता और पहुंच को तत्काल सुनिश्चित करने वाले कानून की मांग करता है। ऐसी नीतियों को सरकार वापस करे जिनसे भुखमरी पैदा और विकराल होती है। यह अभियान ऐसे व्यापक भोजन के अधिकार कानून की पुरजोर मांग करता है जो भुखमरी के ढांचागत कारणों को प्रभावित करे और देश के हर निवासी को खाद्य सुरक्षा के अधिकार प्रदान करे। हम आगे मांग करते हैं कि भारत सरकार अपने कानून के प्रारूप में रोजी–रोटी अधिकार अभियान द्वारा प्रस्तुत किये गये कानून के प्रारूप को शामिल करे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा, महिला या पुरूष भूखा न सोये और कुपोषण का शिकार न होने पाये।

हमारी मांगें

1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करें – सभी के लिये दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले व्यापक भोजन का अधिकार कानून लागू करने की प्रक्रिया को रोकने या बाधित करने में सूखे की स्थिति को बहाने के रूप में पेश न किया जाये। इस कानून के संदर्भ में राष्ट्र स्तर पर पारदर्शी, खुली और सहभागी संवाद की प्रक्रिया चले।

2- ''भोजन और खाद्यान्न पहले'' की नीति का पालन हो – घरेलू खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग को लाभकारी बनाते हुये खेती को ताकत देना

- खेती को बचाने के लिये घरेलू खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना।
- घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिये खाद्यान्न और अनाज के आयात–निर्यात के बजाये घरेलू अनाज के उत्पादन और उपभोग को नीतिगत प्राथमिकता दी जाये। किसानों को संरक्षण देने के लिए अनुचित रियायतों से आयात करके देश में अनाज की ''अव्यवस्था'' न पैदा की जाये। केवल अभाव और बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही सरकारी उपक्रमों के जरिये अनाज का अस्थाई रूप से आयात किया जाये।
- जमीन और पानी सहित, तमाम प्राकृतिक संसाधनों का पहला उपयोग अनाज/खाद्यान्न के लिये होना चाहिये।
- खेती और सरकारी खाद्यान्न कार्यक्रमों में जीएम तकनीक के उपयोग पर सरकार प्रतिबंध रखे।
- सरकार को गेंहू और चावल की अपेक्षा पौष्टिक और स्थानीय अनाज को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिये।

* रोजी–रोटी अधिकार अभियान / www.righttofoodindia.org

- ❖ किसान अनाज का उत्पादन करने में रूचि लें, इसके लिये सरकार को अनाजों के और बेहतर समर्थन मूल्य तय करना चाहिये।
- ❖ न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते समय किसानों और खेतीहर मजदूरों के श्रम का सम्मानजनक मूल्यांकन करते हुये जीवन जीने के लिये जरूरी मजदूरी तय ही जाना चाहिये।
- ❖ अनाज उत्पादन, अनाज के बाजार और पोषण संबंधी योजनाओं हर तरह के व्यापारिक संस्थानों के हितों (अनुबंध खेती सहित) और कार्पोरेट के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिये।
- ❖ सरकार को निजी क्षेत्र के साथ ऐसा कोई भी अनुबंध या साझेदारी नहीं करना चाहिये जिसमें हितों का टकराव हो या निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिये व्यवस्था और प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहे।
- ❖ सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये की अनाज और खाद्यान्न सामग्री की खरीदी, भण्डारण और वितरण विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत् हो।
- ❖ सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि हर व्यक्ति को पीने का साफ पानी और स्वच्छता उपलब्ध हो।
- ❖ कृषि व्यापार संगठनों/कम्पनियों के द्वारा खेती और खाद्यान्न पर व्यापारिक नियंत्रण और एकाधिकार पर रोक हो।
- ❖ जब तक देश में कुपोषण खत्म न हो जाये तब तक अनाज निर्यात पर पूरा प्रतिबंध होना चाहिए।

3- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लोकव्यापीकरण

- ❖ देश में रहने वाले हर व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाया जाये।
- ❖ हर वयस्क के लिये हर महीने 14 किलो अनाज, डेढ़ किलो दाल और 800 ग्राम खाने के तेल की पात्रता सुनिश्चित की जाये।
- ❖ राशन कार्ड सहित खाद्यान्न संबंधी तमाम दस्तावेज महिलाओं के नाम से जारी करना।
- ❖ पूरे देश में अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सभी जिलों में अनाज की खरीदी हो। हर विकासखण्ड (ब्लाक) में अनाज भण्डारण के लिये गोडाऊन स्थापित हो और स्थानीय उपलब्धता कम होने की स्थिति के अलावा केवल स्थानीय स्तर पर खरीदे गये अनाज का ही वितरण हो।
- ❖ हर ग्राम पंचायत के स्तर पर अनाज कोष (बैंक) की स्थापना होना होना चाहिए।
- ❖ राशन कार्ड सहित खाद्यान्न योजनाओं के सभी दस्तावेज महिलाओं के नाम पर जारी किये जयें।
- ❖ अनाज में पौष्टिक और स्थानीय अनाज शामिल होने चाहिये और 2 रूपये प्रति किलो के मान से अपलब्ध कराया जाना चाहिये। इसमें दाल की कीमत 20 रूपये और खाने के तेल का दाम 35 रूपये तय किया जाये।
- ❖ इस कानून के तहत् सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में ढांचागत बदलाव लाया जाये। इसमें पीडीएस दुकानों का निजीकरण खत्म करना, पर्याप्त पूंजी और कमीशन के साथ महिला समूहों एवं सामुदायिक समूहों को सौंपना, राशन दुकान के दरवाजे पर अनाज की पहुंच सुनिश्चित करना, कम्प्युटरीकरण करना और पारदर्शिता के लिये अन्य अनिवार्य कदम उठाना शामिल है।

4. बहिष्कृत, वंचित समूहों और आपदाओं से प्रभावितों को पेंशन, अंत्योदय कार्ड और पके हुए भोजन सहित विशेष संरक्षण

- ❖ इस कानून में और इस कानून के द्वारा वृद्धों, विकलांगों, एकल महिला–बच्चों पर निर्भर परिवारों, निराश्रितों, बंधुओं मजदूरों, पिछड़ी हुई आदिम जनजाति, विमुक्त जाति–जनजाति, शहरी आश्रयहीन और संरक्षणविहीन बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिये।
- ❖ इन वर्गों से संबंधित हर व्यक्ति एवं परिवार को अंत्योदय कार्ड मिलना चाहिये और अन्य जनसंख्या की अपेक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आधी कीमत पर अनाज मिलना चाहिये।
- ❖ इन वर्गों से संबंधित हर व्यक्ति एवं परिवार को अतिरिक्त अधिकारों की पात्रता, जैसे पका हुआ भोजन, बच्चों को आवासीय स्कूलों में प्रवेश, हर अधिकार में दो गुना आवंटन की पात्रता और एक क्विंटल मुफ्त खाद्यान्न होना चाहिये।
- ❖ पलायन करने वाले मजदूरों और शहरी निराश्रितों के लिये विशेष नीतियों का निर्माण करना चाहिये – जैसे देश के किसी भी हिस्से में अपनी खाद्यान्न की पात्रता का अधिकार उपयोग करना।
- ❖ सरकार को हर आपातकालीन परिस्थिति एवं आपदा (प्राकृतिक और इंसान द्वारा निर्मित) और भुखमरी की स्थिति में विशेष कदम उठाने की तत्परता दिखाना चाहिये।

- ❖ रसोईयों और सहायकों के कम से कम 50 प्रतिशत तक दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों से भरे जाने चाहिये।
- ❖ आंगनवाड़ी और राशन की दुकानों की स्थापना में दलित, आदिवासी और मुस्लिम बसाहटों को प्राथमिकता दी जाना चाहिये।

5. भूख से मौतें

- ❖ सभी आपातकालीन स्थितियों, आपदाओं (प्राकृतिक एवं मानव निर्मित), भुखमरी एवं भूख से मौतों की स्थिति में सरकार को ठोस एवं विशेष कदम उठाना चाहिये। जहां भी भूख से मौत की सूचना आती है वहॉ कलेक्टर को इन समुदायों एवं परिवारों के सम्मानजनक सुरक्षित पुनर्वास के लिए तत्काल पहुंचना चाहिये। इस तरह के परिवारों की जांच के लिये कलेक्टरों को सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों द्वारा बनाई गई मार्ग निर्देशिका लागू करना चाहिये।

6- एक प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था की स्थापना करना

- ❖ शिकायत निवारण व्यवस्था में गलत काम करने वालों के लिये अर्थदण्ड और सजा का, और जिनके साथ गलत हुआ उनके लिये मुआवजे का प्रावधान होना चाहिये।
- ❖ इसमें आपराधिक और सिविल कार्यवाही शामिल हो। इस कानून में कार्यवाही के लिये ग्राम न्यायालयों का न्यायिक क्षेत्र तय किया जाये।
- ❖ किसनों को संरक्षण देने के लिए अनुचित रियायतों से आयात करके देश में अनाज की ''अव्यवस्था'' न पैदा की जाये। केवल अभाव और बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही सरकारी उपक्रमों के जरिये अनाज का अस्थाई रूप से आयात किया जाये।
- ❖ ब्लॉक और जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ राज्य और राष्ट्र के स्तर पर स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति की जाये।
- ❖ तमाम खाद्यान्न कार्यक्रमों में पारदर्शिता के लिये ठोस ढांचा बनाया जाना चाहिये। इसके साथ ही हर स्तर पर जवाबदेहिता तय करते हुये सामाजिक अंकेक्षण के लिये आवश्यक प्रावधान किये जायें।
- ❖ इस कानून में व्यवस्था होना चाहिये कि वार्ड/ग्रामसभा या किसी भी स्थानीय निकाय के स्तर पर ही कानून के उल्लंघन एवं अधिकारों के हनन् की शिकायत दर्ज की जा सके।
- ❖ इस कानून के तहत शामिल सभी योजनाओं में काम करने वालों के लिये सम्मानजनक जीवन योग्य मजदूरी का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

7- <u>सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को कमजोर न करना –</u> भोजन का अधिकार कानून में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भोजन के अधिकार के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के, न्यूनतम कानूनी अधिकार और अन्य व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने वाले, आदेशों को कानून के द्वारा किसी भी तरह से कमजोर न किया जाये।

8- <u>तत्काल की कार्यवाही</u>

अभाव और सूखे की मौजूदा परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिये –

- ❖ हर वयस्क को मांग पर रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। सूखा प्रभावित इलाकों में नरेगा के तहत रोजगार के दिनों की संख्या सीमित न की जाये। नरेगा के अस्तित्व में होने के बाद हर सार्वजनिक निर्माण कार्य नरेगा के तहत होना चाहिये, बजाये इसके कि राहत कार्यों के लिये अलग से नई समानान्तर व्यवस्था खड़ी की जाये।
- ❖ मजदूरी में 20 प्रतिशत की वृद्दि की जाना चाहिये। मजदूरी वृद्धि पर लगी रोक को तत्काल हटाया जाना चाहिये।
- ❖ रोजगार कार्यक्रमों में वृद्वों, विकलांगों आदि की स्थिति को ध्यान में रखते हुये काम के लक्ष्य कम किये जाने चाहिये।
- ❖ मिस्त्रियों को शारीरिक श्रम आधारित काम के अलावा उनकी क्षमता का काम मिलना चाहिये।
- ❖ कार्यस्थलों पर बच्चों पर प्रतिबंध हो।
- ❖ अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार सभी पिछड़ी आदिम जाति परिवारों, विकलांगों, वृद्वों और अन्य वंचित समूहों तक होना चाहिये। हर पात्र तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाये।

- जहां भी भूख से मौत की सूचना आती है वहॉ कलेक्टर को इन समुदायों एवं परिवारों के सम्मानजनक सुरक्षित पुनर्वास के लिए तत्काल पहुंचना चाहिये। इस तरह के परिवारों की जांच के लिये कलेक्टरों को सर्वोच्च न्यायालय आयुक्तों द्वारा बनाई गई मार्ग निर्देशिका लागू करना चाहिये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पात्रता 50 प्रतिशत बढ़ाई जाना चाहिये।
- मध्यान्ह भोजन योजना और एकीकृत बाल विकास योजना में पात्रता को दो गुना किया जाये। आंगनवाड़ी केन्द्र में दो बार भोजन दिया जाना चाहिये।
- उड़ीसा और तमिलनाडू की तर्ज पर विकलांगों वृद्वों और निराश्रितों के लिये आपातकालीन भोजन केन्द्रों की स्थापना करना।
- स्कूल से बाहर के बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत शामिल करना।
- छुट्टियों के दौरान मध्यान्ह भोजन योजना चलते रहना चाहिये।
- हर बसाहट तक पीने का पानी टैंकर के जरिये पहुंचना चाहिये, इसमें दलित और आदिवासी बस्तियों पर खास ध्यान देना चाहिये। पानी का संग्रहण करने वाले टेंकर भी उपलब्ध होना चाहिये।
- सभी पशुओं और जानवरों के लिये शिविरों एवं डिपो के जरिये चारे की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिये।
- जो लोग खाद्यान्न/अनाज खरीदने में अक्षम हो उनके लिये हर पंचायत के स्तर पर मुफ्त खाद्यान्न/अनाज की व्यवस्था के लिये स्टॉक होना चाहिये।
- इसी तरह की प्रक्रिया बाढ़, चक्रवात, और कुपोषण से ग्रसित इलाकों के लिये भी चलाई जानी चाहिये।
- **शिकायत निवारण** – इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये शिकायतों पर 48 घंटे के भीतर कार्यवाही की जाये और पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाये।

हमारी मांगों पर कोई बहाना नहीं

जब भी हम अपने सुनिश्चित भोजन और रोजगार के अधिकार की मांग करते हैं तो सरकार कहती है कि इन मांगों को पूरा करने के लिये उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। बहरहाल सरकार को हमारे धन से रियायतें देकर कम्पनियों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में कोई हिचक नहीं होती है। केवल बीते साल में ही अमीरों के 4,18,096 करोड़ रूपये के *कर* माफ कर दिये गये जबकि हर साल 1 लाख करोड़ रूपये की टैक्स चोरी होती है। इनकी तुलना में सरकार नरेगा के लिये केवल 39,000 करोड़ और सस्ते अनाज के लिये केवल 55,000 करोड़ रूपये आवंटित करती है। कई लाख करोड़ रूपये स्विस बैंक में पड़े हुये हैं; जबकि कई करोड़ रूपये राष्ट्रमण्डल खेलों जैसी बनावटी और गैर–जरूरी योजनाओं में डाले जा रहे हैं और गरीबों के पेट खाली है